संख्या– /VI-I/2007-4 (6)/20

प्रेषक,

एस०एस०वल्दिया,
उप सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल निदेशालय,
उत्तरांचल।

खेल अनुभाग –

देहरादून दिनांक : 24 अगस्त, 2 ~~जुलाई~~ 2007

विषय :– जनपद बागेश्वर में निर्माणाधीन स्टेडियम हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक खेल निदेशालय के पत्र संख्या 5468/बा.स्टे.प./2006–07 दे०दून दिनांक–14 मार्च 2007, के सन्दर्भ में शासनादेश संख्या–374/VI-I/2005 दिनांक 20 दिसम्बर, 2005 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद बागेश्वर में इन्डोर स्टेडियम के निर्माण हेतु पूर्व में स्वीकृत धनराशि रूपये 50.00 (रूपये पचास लाख मात्र) लाख के अतिरिक्त अवशेष धनराशि रूपये 21.12 लाख की धनराशि व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

i) आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरें को जो दरे शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता को अनुमोदन आवश्यक है।

ii) कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधानित स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधानित स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

iii) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

iv) एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

v) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एव लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

vi) कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भांति निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायें।

vii) आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाए एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाए।

(ii) निर्माण सामग्री प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय तथा उपर्युक्त पायी जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

2. उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबंध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं दता है, जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने चाहिए। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बंध में समय–समय पर जारी किए गये शासनादेशों में निहित निर्देश का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

इस सम्बंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु स्वीकृत आय–व्ययक के अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक 4202– शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय 03–खेलकूद तथा युवक सेवा खेलकूद स्टेडियम–102–खेलकूद स्टेडियम (लघु शीर्षक–108 के स्थान पर) 05–स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण (चालू कार्य)–24– वृहद निर्माण कार्य आयोजनागत पक्ष के नामें डाला जायेगा।

उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या–201 (पी)/वित्त अनु0–3/2007 दिनांक–13 जुलाई, 2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0एस0वल्दिया)
उपसचिव

पृष्ठांकन संख्या:– 94 /VI-I/2007 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड, ओबराय बिल्डिंग, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4. जिलाधिकारी, जनपद बागेश्वर।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, जनपद बागेश्वर।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3, उत्तराखण्ड देहरादून।
8. बजट राजकोषीय नियोजन व संसाधन निदेशालय सचिवालय, देहरादून।
9. एन0आई0सी0 देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(एस0एस0वल्दिया)
उप सचिव